फैक्स/आवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र- 74 /2013 दिनाँक: लखनऊ: दिसम्बर 30 2013

सेवा में,

1.समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद उ0प्र0।

आप अवगत हैं कि पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने सेवा संबंधी प्रकरणों के संबंध में मा0 न्यायालयों में रिट याचिकायें/निर्देश याचिकायें योजित की जाती हैं, जिनमें उ0प्र0शासन एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया जाता है। मा0 न्यायालयों द्वारा कतिपय प्रकरणों में याचीगण के प्रत्यावेदन का निस्तारण किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को निर्देशित किया जाता है।

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि ऐसे प्रकरणों में संबंधित जनपद/इकाई प्रभारियों द्वारा पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को एक पत्र भेजकर प्रकरण सन्दर्भित कर दिया जाता है जबकि ऐसे प्रकरणों से संबंधित अभिलेख पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में उपलब्ध नहीं होते हैं, फलस्वरूप याचीगणों के प्रत्यावेदन का निस्तारण समय से नहीं हो पाता है, जिस कारण याचीगणों द्वारा मा0 न्यायालयों/अधिकरणों में अवमानना याचिकाएं योजित कर उ0प्र0 शासन व पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को नाम से पक्षकार बना दिया जाता है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालय से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें याचीगणों के प्रत्यावेदन का निस्तारण पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की ओर से किया जाना हो अथवा उनमें निर्णय इस मुख्यालय स्तर से लिया जाना हो, के बारे में संबंधित जनपद/इकाई प्रभारी अपने अधीनस्थ नियुक्त प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को समस्त अभिलेखों/विधिक राय के साथ पुलिस महानिदेशक मुख्यालय लखनऊ में भेजकर समय से कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, केवल पत्र भेजकर औपचारिकता पूर्ण करने की कार्यवाही कदापि न करें।

उक्त के अतिरिक्त यदि मा0 न्यायालय के किसी आदेश/निर्णय के बारे में इस मुख्यालय स्तर से किसी दिशा–निर्देश अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो उसके बारे में संबंधित जनपद/इकाई प्रभारी अपने अधीनस्थ प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को प्रकरण की सम्पूर्ण विषयवस्तु व सुसंगत अभिलेखों सहित भेजकर दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

अतः आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्देशों का जनपद/इकाई स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये, जिससे अवमानना की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

30-12-13

(देवराज नागर)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0लखनऊ।